तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज किशनसिंह बनाम लो.सू.अ.(अपर जिला कलक्टर, तृतीय जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 224 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.12.20	अपीलार्थी किशनसिंह पुत्र तेजमाल माली निवासी मायली मण्डावता, मण्डोर जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.08.. 19 में उसके द्वारा (1) प्रार्थी के दूकान भूखण्ड बनाप 20 ग 30 ख.नं. 67 / 5 ग्राम मण्डोर प्रथम के आगे रा. राजमार्ग सं0–65 जोधपुर से नागौर हाईवे के दोलेनीकरण के लिए अवाप्त की गई भूमि कितने फूट अवाप्त की गई जिसकी वल्यूरान रिपोर्ट की प्रति, हाईवे के मध्य से कितने फूट रोड़ निर्माण की गई , मध्य रोड़ से कितने फुट रोड़ निर्माण का आदेश है, व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपील करीब एक वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गई जो अत्यन्त विलम्ब है तथा विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई उचित कारण भी नहीं बतलाया गया। रेस्पो.पक्ष की ओर से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। प्रस्तुत अपील अति विलम्ब से प्रस्तुत होने एवं विलम्ब करने का कोई सन्तोषप्रद कारण नहीं बताये जाने से अपील निरस्त योग्य है, जो निरस्त की जाती है। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो।	